राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2983/2024

श्रीमती सुशीला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गंगापुर सिटी, (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.09.2024

आदेश की दिनांक : 01.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति की नियुक्ति दिनांक 13.11.1968 को पम्प चालक प्रथम के पद पर हुई थी और दिनांक 30.09.2011 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 17.07.1996 को वरियता सूची जारी की गई, जिसमें वरियता सूची की पृष्ठ संख्या 9 के क्रम संख्या 1 पर अपीलार्थी के पति का नाम अंकित है और पेज संख्या 10 पर श्री रामबाबू का नाम क्रम संख्या 11 पर अंकित है और उनकी नियुक्ति दिनांक 02.02.1972 को हुई थी। श्री दामोदर प्रसाद का नाम क्रम संख्या 13 पर अंकित है और उनकी नियुक्ति दिनांक 08.02.1974 को अंकित है। इस प्रकार उक्त दोनो

कर्मचारी अपीलार्थी के पति से कनिष्ठ हैं। परंतु उक्त दोनो कर्मचारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चयनित वेतनमान का लाभ एक ही स्केल में दिये जाने के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलम्बन लेते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष का चयनित वेतनमान अलग–अलग वेतन श्रृंखला में दिये जाने का आदेश पारित किया और उक्त निर्णय के अनुसार उक्त दोनो कार्मिकों को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 5000–8000 एवं 5500–9000 में निर्धारित किया। जबकि अपीलार्थी के पति भी 9, 18 एवं 27 वर्ष का वेतनमान 4000–6000, 4000–6000 एवं 5000–8000 में निर्धारित किया गया, जो नियमों के विपरीत है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 7800/2019 घनश्याम बनाम राजस्थान सरकार में भी यह निर्णय दिया है कि यदि कर्मचारियों को अगर आईसोलेटेड पद हैं तो उसे उच्च श्रृंखला का वेतन दिया जावे और इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर अपीलार्थी के पति 5500–9000 की वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के हकदार हैं। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतनमान 5500–9000 में वेतन फिक्स किया जावे एवं समस्त शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति की नियुक्ति दिनांक 13.11.1968 को पम्प चालक प्रथम के पद पर हुई थी और दिनांक 30.09.2011 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुये। परंतु अपीलार्थी के

विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)